न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 55/12

नन्दू बाई पुत्री श्री मदन जाति मीणा निवासी ग्राम भीलखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
– वादिनी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
2. दुर्गालाल आत्मज श्री कान्हा जाति मीणा निवासी भीलखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. प्रभूलाल आत्मज श्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम भीलखेडी तहसील लाडपुरा, कोटा
4. राधेश्याम आत्मज श्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम भीलखेडी, तहसील लाडपुरा, कोटा

– प्रतिवादीगणगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 रा. टी. एक्ट

दिनांक : 21.01.2020

उपस्थिति : वादिनी अभिभाषक श्री संजय शर्मा

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादिनी की ओर से एक वाद पेश पेश कर निवेदन किया गया कि –

* वादिनी के दादा भंवरलाल आत्मज चतरा के खाते एवं कब्जे काश्त की गत खसरा नम्बर 97 की 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 की 1 बीघा, खसरा नम्बर 99 की 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 की 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 की 4 बीघा, खसरा नम्बर 120 की 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 121 की 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 219 की 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 220 की 15 बीघा 16 बिस्वा कुल 33 बीघा आराजी वाके ग्राम भीलखेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित थी। उक्त आराजी के भंवरलाल एक मात्र खातेदार एवं काबिज काश्त चले आ रहे थे।

* भू–प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 139 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 302 रकबा 0.11 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 303 रकबा 2.12 हैक्टर बनाकर कुल रकबा 5.90 हैक्टर दर्ज किया है।

वादिनी के दादा श्री भंवरलाल का स्वर्गवास हो गया। भंवरलाल के दो पुत्र क्रमशः कान्हा एवं मदन थे किन्तु भंवरलाल के पुत्र मदन का भी स्वर्गवास हो गया था इस स्थिति में भंवरलाल की मृत्यु के बाद उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा कान्हा के नाम दर्ज होना

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

चाहिए था तथा 1/2 हिस्सा स्व0 मदन की वारिस वादिनी नन्दू बाई के नाम दर्ज होना चाहिए था किन्तु प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा उक्त सम्पूर्ण आराजी भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र कान्हा के नाम ही दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजी में वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित है जिस पर वादिनी का ही कब्जा काश्त है।

* वर्तमान में कान्हा की भी मृत्यु हो चुकी है एवं उक्त आराजी कान्हा के वारिसान प्रतिवादी क्रम–2 दुर्गालाल, प्रतिवादी क्रम–3 प्रभूलाल एवं प्रतिवादी क्रम–4 राधेश्याम पुत्र कान्हा के नाम दर्ज है।

* प्रतिवादी क्रम–1 को उक्त सम्पूर्ण आराजी भंवरलाल की मृत्यु के बाद कान्हा के नाम दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि कान्हा का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित था इसलिए कान्हा के नाम उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा ही दर्ज किया जाना चाहिए था तथा शेष 1/2 हिस्सा वादिनी के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था।

* वादिनी ने इस बाबत दिनांक 13.03.2012 को एक रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी प्रतिवादी क्रम–1 को दिलवाया एवं राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्त करने का निवेदन किया। उक्त नोटिस प्रतिवादी क्रम–1 को दिनांक 13.03.2012 को प्राप्त हो गया किन्तु नोटिस प्राप्त हो जाने की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी क्रम–1 ने उक्त आराजी में आधे हिस्से पर वादिनी का नाम दर्ज नहीं किया तथा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्त नहीं किया।

* वादिनी का उक्त आराजी मे 1/2 हिस्सा निहित है। वादिनी उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की स्वंय को खातेदार घोषित करवाकर राजस्व अभिलेख में 1/2 हिस्सा में अपना नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादिनी के पास प्रस्तुत वाद के अलावा अन्य कोई समीचीन रेमेडी नहीं है।

* वाद कारण प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा उक्त आराजी में आधे हिस्से पर वादिनी का नाम दर्ज नहीं करने एवं सम्पूर्ण आराजी को प्रतिवादी क्रम 2, 3 व 4 के पिता कान्हा के नाम दर्ज कर देने एवं तदुपरान्त प्रतिवादी क्रम 2, 3 व 4 के नाम दर्ज कर देने व वादिनी द्वारा दिनांक 13.03.2012 को प्रतिवादी क्रम–1 को रजिस्टर्ड नोटिस दिलवाने, नोटिस प्राप्त हो जाने एवं नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी वादिनी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं करने एवं राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती नहीं करने पर इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में उत्पन्न हुआ।

* प्रतिवादी क्रम–1 लैण्ड होल्डर होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है इसलिये उसे बहैसियत प्रतिवादी क्रम–1 पक्षकार बनाया गया है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है।

अतः वाद प्रस्तुत कर विनय है कि वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि विवादित आराजी के खसरा नम्बर 139 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.54 हैक्टर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी कोटा (राज.)

21/01/2020
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 302 रकबा 0.11 हैक्टर, एवं ख्सरा नम्बर 303 रकबा 2.12 हैक्टर, कुल रकबा 5.90 हैक्टर वाके ग्राम भीलखेडी तहसील लाडपुरा में 1/2 हिस्से आराजी का वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी में 1/2 हिस्से आराजी को प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4 के खाते से हटाकर उस पर वादिनी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को आदेश प्रदान किया जावे कि वह तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्त कर उक्त आराजी के 1/2 हिस्से को वादिनी के नाम एवं 1/2 हिस्से को प्रतिवादीगण क्र 2,3,4, के खाते दर्ज करे।

* वादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वादपत्र के साथ प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

(a) प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2016–2024, ग्राम भीलखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा.

(b) प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी संवत 2038–57, ग्राम भीलखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, खातेदार–कान्हा.

(c) प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संवत 2066–69, ग्राम भीलखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, खातेदार–दुर्गालाल वगैरहा.

(d) प्रदर्श–4 नकल मिलान क्षैत्रफल

(e) प्रदर्श–5 नकल नोटिस 80 सीपीसी दिनांक 13.03.2012.

(f) प्रदर्श–6 रसीद डाक क्रमांक 4388

(g) प्रदर्श–7 रसीद डाक क्रमांक 4389

(h) प्रदर्श–8 रसीद एडी

(i) प्रदर्श–9 फोटोप्रति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत काल्याखेडी दिनांक 03.02.2012.

3. न्यायालय में पेश वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादी क्रम–2, 3 व 4 की तलवी के बावजूद भी न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब आदि पेश किया गया, फलस्वरूप आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादीगणगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें वादपत्र के चरण राजस्व रेकार्ड अनुसार स्वीकार कर निवेदन किया गया कि भू–प्रबन्ध से पूर्व 2032–35 में ग्राम भीलखेडी के खाता नम्बर 49 पर भंवरलाल पुत्र चतरा, जाति मीणा के नाम किता 9 रकबा 33 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड है। भू–प्रबन्ध से पूर्व 2038–57 में ग्राम भीलखेडी के खाता नम्बर 42 पर कान्हा पुत्र भंवरलाल, जाति मीणा के नाम किता 17 रकबा 5.90 हैक्टर भूमि दर्ज रेकार्ड है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खाता नम्बर 42 सम्पूर्ण भूमि पर एकमात्र पुत्र, कान्हा पुत्र भंवरलाल, जाति मीणा के नाम किता 17 रकबा 5.90 हैक्टर भूमि दर्ज रेकार्ड है जबकि 1/2 भूमि में पूर्व मृतक मुत्र मदन के वारिसान का नाम दर्ज होना वांछनीय है। उक्त के अतिरिक्त वादपत्र के अन्य चरण के जवाब में कानूनी एवं न्यायालय से सम्बन्धित होना अंकित किया है।

5. प्रकरण के बहस में आने पर वादिनी के विद्वान अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई। वादिनी अभिभाषक ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि जमाबन्दी संवत 2016–2024 के अनुसार विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में वादिनी के दादाजी स्व. भंवरलाल पुत्र चतरा के खाते दर्ज रेकार्ड थी। स्व. भंवरलाल के दो पुत्र कान्हा व मदनलाल थे अर्थात स्व. भंवरलाल की आराजी में कान्हा व मदनलाल का समान रूप से 1/2, 1/2 हिस्सा निहित था। कान्हा के वारिसान–पुत्र प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 4 है तथा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

मदनलाल के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उसकी एकमात्र वारिस उसकी पुत्री ही है। दौराने सेटलमेन्ट, राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने, वादिनी के पिता की मृत्यु उपरान्त सम्पूर्ण विवादित आराजी कान्हा के नाम दर्ज कर दी तथा स्व. कान्हा की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 2, 3 व 4 के खाते दर्ज कर दी गई। विवादित आराजी को स्व. मदनलाल तथा स्व. कान्हा के खाते समानुपातिक रूप से दर्ज किये जाने के कथन को प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा भी अपने जवाब दावा में स्वीकार किया गया है। अतः प्रकरण की विवादित आराजी का फोती इंतकाल खोलते समय की गई त्रुटि को दुरूस्त करते हुये वादिनी को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

6. हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। दौराने वाद प्रकरण के वादपत्र एवं प्रतिवादी क्रम–1 के जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(i) *आया विवादित आराजी वादिनी के पूर्वजों के खाते दर्ज थी।* इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। वादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी नकल जमाबन्दी संवत 2016–2024 (प्रदर्श–1) पेश की गई है जिसमें विवादित आराजी वादिनी के दादाजी स्व. भंवरलाल पुत्र चतरा के खाते दर्ज रेकार्ड थी। वादिनी के उक्त कथन की पुष्टि प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा अपने जवाब दावा में भी की गई है। इस प्रकार राजस्व अभिलेख एवं जवाब दावा के आधार पर वादिनी के कथन की पुष्टि होने से यह तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

(ii) *आया विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की वादिनी खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है।* इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था।

प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजी वादिनी के दादाजी स्व. भंवरलाल के खाते दर्ज थी जिस पर उसके दोनों पुत्र कान्हा व मदनलाल का समान हक व हिस्सा निहित था। उक्त प्रकरण अनुसूचित जनजाति "मीणा" जाति से सम्बन्धित होने से पक्षकारान के इस प्रकरण पर पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता है। फलस्वरूप प्रस्तुत प्रकरण में स्व. मदनलाल के कोई पुत्र सन्तान न होकर केवल एक पुत्री सन्तान होने के कारण, दौराने सेटलमेन्ट स्व. भंवरलाल का फोती इंतकाल केवल कान्हा के नाम खोला गया, जो कालान्तर में स्व. कान्हा के वारिसान (प्रतिवादी क्रम–2,3,4) के नाम दर्ज हुआ। स्व. भंवरलाल के वारिस होने के कारण स्व. कान्हा व स्व. मदनलाल का विवादित आराजी में समान हिस्सा निहित था। वादिनी के उक्त कथन की पुष्टि प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा अपने जवाब दावा में भी की गई है। इस प्रकार वादिनी विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है। अतः यह तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

(iii) अनुतोष ?

प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी की ओर से राजस्व अभिलेख की त्रुटि को दुरूस्त कर विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित होने सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश किये गये जवाब दावा में 1/2 भूमि में पूर्व मृतक पुत्र मदन के वारिसान का नाम दर्ज होना वांछनीय माना है।

7. उपरोक्त समस्त विवेचन एवं प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों के गुणावगुण के आधार पर नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि चूंकि विवादित आराजी के पक्षकारान अनुसूचित जनजाति की "मीणा" जाति से सम्बन्धित है। मीणा जाति की पुत्रियों के पैतृक अधिकारों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा
21/01/2020

Scanned by CamScanner

लागू नहीं होते है। संभवत यही कारण रहा होगा कि वादिनी के, पुत्री–सन्तान होने से उसका नाम दर्ज नहीं किया गया। यहॉ पर हमें स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि मीणा जाति–वर्ग में यद्यपि पुत्री–सन्तान को अधिकार नहीं दिये गये है परन्तु यह तथ्य वहीं लागू होगा जबकि उसके पुत्र सन्तान हो। विधि का सर्वमान्य तथ्य भी यही है कि यदि मीणा जाति से सम्बन्धित किसी व्यक्ति के कोई पुत्र सन्तान नहीं है तो उसकी पुत्री/पुत्रियॉ ही सम्पत्ति की हकदार होगी। प्रस्तुत प्रकरण में भी स्व. मदनलाल के पुत्री–सन्तान छोडकर मरने के कारण, उक्त पुत्री–सन्तान का कोई अधिकार नहीं मानते हुये स्व. भंवरलाल की सम्पूर्ण विवादित आराजी स्व. कान्हा और उसके वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई जो कि राजस्व कर्मचारियों की गम्भीर त्रुटि को दर्शाता है। स्व. मदनलाल के कोई पुत्र सन्तान नहीं होने पर वादिनी ही उसकी सम्पत्ति की एकमात्र हकदार है तथा प्रकरण की विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः वाद वादिनी स्वीकार कर ग्राम बीलखेडी, पटवार हल्का काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 139 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 302 रकबा 0.11 हैक्टर, एवं ख्सरा नम्बर 303 रकबा 2.12 हैक्टर, कुल किता–17 रकबा 5.90 हैक्टर के 1/2 हिस्से आराजी का वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किया किये जाने तथा उक्त आराजी में 1/2 हिस्से आराजी को प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4 के खाते से हटाकर उस पर वादिनी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21 जनवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी कोटा (राज.)

21/01/2020

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी-- अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

बउनवान :--

नन्दू बाई पुत्री श्री मदन जाति मीणा निवासी ग्राम भीलखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
— वादिनी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
2. दुर्गालाल आत्मज श्री कान्हा जाति मीणा निवासी भीलखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. प्रभूलाल आत्मज श्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम भीलखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राधेश्याम आत्मज श्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम भीलखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

— प्रतिवादीगणगण

दावा बाबत : 88, 89 RTA
मुकदमा नम्बर : 55 / 12
निर्णय दिनांक : 21-01-2020

न्यायालय हाजा में वादिनीगण की ओर से विद्वान वादिनी अभिभाषक श्री संजय शर्मा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 21–01–2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर वाद वादिनी स्वीकार कर ग्राम बीलखेडी, पटवार हल्का काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 168, 169, 205, 206, 207, 208, 300, 301, 302, 303 कुल किता–17 रकबा 5.90 हैक्टर के 1/2 हिस्से आराजी का वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किया किये जाने तथा उक्त आराजी में 1/2 हिस्से आराजी को प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4 के खाते से हटाकर उस पर वादिनी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

— खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 30.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

AtulPrakash 21/01/2020
(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादिनी			प्रतिवादीगण		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner